आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 247 / 2017–18

अंचलाधिकारी, फारबिसगंज – प्रथम पक्ष

बनाम

1. मो0 युनूस, पिता–तसलीम हुसैन, सा0–रामपुर दक्षिण, अंचल–फारबिसगंज, जिला–अररिया
2. मो0 निवासुद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन, सा0–रामपुर, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया
3. मो0 सलामत, पिता–स्व0 मो0 तसलीम, सा0–रामपुर दक्षिणं, अंचल–फारबिसगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 2059, दिनांक 24.12.2016 द्वारा निम्न विविरण की दर्ज जमाबंदी सं0 8274 को रद्द करने हेतु अनुशंसा सहित अभिलेख सं0 25 / 2016–17 संधारित कर इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

वादग्रस्त जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
रामपुर अंचल–फारबिसगंज	142	1534	1781	12 डी0 600 वर्गकड़ी	8274

पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षीगणों द्वारा न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी सं0 2 मो0 निवासुद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन की ओर से लिखित आवेदन दाखिल किया गया।

अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मो0 निवासुद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन, सा0–रामपुर को निबंधित दस्तावेज सं0 7531, दिनांक 21.9.2011 द्वारा क्रय किया गया। किन्तु खाता सं0 1534 की जगह 1543 दस्तावेज में दर्ज हो जाने के कारण सुधारनामा केवाला सं0 9206, दिनांक 01.09.2012 द्वारा खाता संशोधित कराई गई। किन्तु क्रेता मो0 निवासउद्दीन द्वारा शपथ पूर्वक दोनों केवाला का नामान्तरण रकवा 25 डी0 200 वर्गकड़ी का करा कर जमाबंदी सं0 8274 दर्ज करा लिया गया है। जिसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

दूसरी ओर विपक्षी सं0 02 मो0 निवासउद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन, सा0–रामपुर, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया द्वारा लिखित रूप से आवेदन दाखिल कर प्रतिवेदित किया है कि खाता सं0 1534, खेसरा सं0 1781, रकवा 12 डी0 600 वर्गकड़ी जमीन विपक्षी सं0 3 मो0 सलामत, पिता–स्व0 मो0 तसलीम से केवाला सं0 7531, दिनांक 21.9.2011 द्वारा क्रय कर नामान्तरण हेतु अंचल कार्यालय, फारबिसगंज में दाखिल किया। परन्तु कर्मचारी द्वारा बताया गया कि केवाला में खाता सं0 गलत चढ़ गया है। दोबारा सुधारनामा केवाला सं0 9206, दिनांक 01.09.2012 द्वारा कराकर नामान्तरण हेतु अंचल कार्यालय, फारबिसगंज में जमा किया गया। जिसका नामान्तरण के पश्चात् मुझे लगान रसीद निर्गत हुआ, जिसका जमाबंदी सं0 8799 है। लगान रसीद की छाया प्रति संलग्न किया गया। नामान्तरण वाद सं0 247/2017–18 द्वारा कायम जमाबंदी सं0 8274 की मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझे उक्त जमाबंदी सं0 8274 का लगान रसीद ही प्राप्त हुआ है। यदि जमाबंदी सं0 8274 मेरे नाम से खुल गया है तो उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के प्रतिवेदन एवं विपक्षी सं0 2 मो0 निवासउद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन, सां0–रामपुर के आवेदन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का दो–दो जमाबंदी क्रमशः 8274 एवं 8799 विपक्षी निवासउद्दीन के नाम दर्ज हो गया है। एक ही जमीन का दो–दो जमाबंदी एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज होना युक्ति संगत नहीं है। अतः वर्णित भूमि का गलत खाता वाला दर्ज जमाबंदी सं0 8274 को अवैध पाते हुए निरस्त किया जाता है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि जमाबंदी सं0 8274 की दर्ज भूमि को मूल जमाबंदी में शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 122 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 14 / 09 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 25/2016–17 (मो0 युनुस) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14.9.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया